

21/07/18 पत्तावली का नमूना दिनांक 21/07/18 को
राजस्थान लोक अदालत द्वारा जारी की गई
है। इसका प्रयोग केवल सूची
वाले ही अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है।
इसमें राजस्थान सरकार का नाम
को भरना है। पता न पाने वाले




जिसमें कि सीमादायक इलाका
के लिए परत दिपनी 2 (बाहरी) की
द्वारा में रहने से सम्बन्ध है।

दिए गए राजस्थान सरकार
तदनुसार ही प्रयोग करने
के लिए के लिए 2017 संख्या 144/2017
191/2017 द्वारा कि सीमादायक के लिए
परत की उपाय के कराने न पाने उपर
बाहरी की में रहने हेतु पाने
की) प्रत बाहरी/गो, में ही बाहरी
द्वारा में रहने के लिए कानून
के लिए प्रयोग में प्रयोग से पाने
दिए गए पाने तदनुसार ही प्रयोग के
पाने के लिए ही पाने है।

Ⓟ

श्रीमान् कान्ति सिंह 22/5/18
को राजस्थान मंडल कान्ति सिंह
कोषके दफ्तर के कान्ति सिंह
के सुकान्त मंडल

कान्ति सिंह को राजस्थान
मंडल कान्ति सिंह दफ्तर के


22/5/18
कान्ति सिंह
उपस्थित कान्ति सिंह